महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–554/नौ–7–2021–11(ज0)/2020

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1)निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(2)समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(3)समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
(4)समस्त अधिशासी अधिकारी, न0पा0परि0/न0पं0, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक: 17, मई 2021

विषयः कोविड–19 से बचाव एवं होम आइसोलेशन में उपचार व्यवस्था विषयक मोहल्ला निगरानी समिति द्वारा किये जाने वाले कार्यों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1031/पॉच–5–2020, दिनांक 01.05.2020, नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या–672/नौ–7–2020–11(ज)/2020, दिनांक 29.06.2020 तथा चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1116/पॉच–5–2020, दिनांक 17.05.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा सामुदायिक सर्विलांस, सामुदायिक जागरूकता, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु मोहल्ला निगरानी समिति के गठन, कार्य एवं दायित्व के संबंध में विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त के क्रम में नगरीय निकायों में स्थानीय पार्षदों के नेतृत्व में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया गया है।

2. आप अवगत है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत नियुक्ति अनुभाग–1 के पत्र संख्या–585/दो–1–2021, दिनांक 15.05.2021 द्वारा मोहल्ला निगरानी समिति के कुछ अतिरिक्त दायित्व निर्धारित किये गये है, जो कि निम्नवत् हैः–

1. निगरानी समितियों द्वार डोर–टू–डोर स्क्रीनिंग सुनिश्चित कराना।
2. हर लक्षणयुक्त तथा संदिग्ध व्यक्ति को निगरानी समिति द्वारा मेडिकल किट उपलब्ध करवाना।
3. निगरानी समिति प्रतिदिन उन लोगों के नाम तथा फोन नंबर सेक्टर अधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करायेगी, जिन्हें मेडिकल किट प्रदान की गयी। तत्पश्चात यह सूची जिला प्रशासन को उसी दिन उपलब्ध करायी जायेगी तथा इसका सत्यापन आई0सी0सी0सी0 के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा एवं जनप्रतिनिधियों को भी यह सूची उपलब्ध करायी जायेगी।
4. निगरानी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि लक्षणयुक्त अथवा संदिग्ध व्यक्तियों के पास अलग कक्ष (टॉयलेट के साथ) की व्यवस्था हो, जिन व्यक्तियों के पास यह व्यवस्था नहीं है, उनकी सूची सेक्टर अधिकारी के माध्यम से जिला प्रशासन को दिया जायेगा ताकि जिला प्रशासन उन्हें क्वारंटीन सेंटर ले जाने की व्यवस्था करें।

3. शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मोहल्ला निगरानी समिति के उपर्युक्त कार्यों का अनुश्रवण करने हेतु नगर निगम के प्रत्येक जोन हेतु जोनल अधिकारी/सहायक नगर आयुक्त को नोडल अधिकारी नामित किया जाय। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के प्रत्येक 05 वार्डों हेतु नोडल अधिकारी यथा कर–अधीक्षक, सहायक अभियंता आदि नामित किये जाय। नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि मोहल्ला निगरानी समिति को उपलब्ध करायी गयी मेडिकल किट तथा निगरानी समिति द्वारा उनके वितरण इत्यादि कार्यों का अनुश्रवण करें एवं यह सुनिश्चित करें कि मोहल्ला निगरानी समिति द्वारा मेडिकल किट कोविड–19 के लक्षणयुक्त व्यक्तियों (Suspected cases) अथवा कोविड स्क्रीनिंग टेस्ट में धनात्मक पाये गये व्यक्तियों को ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार उपलब्ध करायी जाय।

4. नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा इस निमित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नगर स्वास्थ्य अधिकारी/स्थानीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी अधिकारियों से समन्वय बनाये जाय तथा दूरभाष/बैठकों के माध्यम से यदि कोई फीडबैक है तो उसका समाधान सुनिश्चित किया जाये।

इसी प्रकार निगरानी समिति के नोडल अधिकारियों द्वारा समिति की ASHA सदस्यों तथा स्थानीय ANMs/चिकित्सा अधिकारियों से भी निरंतर संवाद बनाया जाये।

5. नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी दैनिक सूचना निर्धारित प्रारूप–क (संलग्न) पर प्रतिदिन सायं 03.00 बजे तक एवं साप्ताहिक सूचना प्रत्येक शुक्रवार को निर्धारित प्रारूप–ख (संलग्न) पर नगरीय निकाय निदेशालय को Google link- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexQrMwTNDD5wXsnOghWGm-HLbOwZ0fc_DG7DgtDXK1JpvTrA/viewform (प्रारूप–क हेतु) तथा Google link- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDLWFLI2Klv8chpylVSP3xeybl6ZBCf2HURHorzlIK33C00Q/viewform (प्रारूप–ख हेतु) पर तथा शासन को ई–मेलः– so.nagarvikas@gmail.com पर उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा समस्त नगरीय निकायों से प्राप्त उक्त सूचना को संकलित कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्णय के क्रम में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकःयथोक्त।</u>

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(डा0 इंद्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

so 7 vivek 3

प्रारूप–क

कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में गठित मोहल्ला निगरानी समितियों द्वारा की गई स्क्रीनिंग की कार्यवाही व मेडिकल किटों के वितरण के सम्बंध में दैनिक सूचना										दिनांक		
क्र. स.	मण्डल	जनपद	नगर निकाय का नाम	वार्डो की संख्या	गठित निगरानी समितियों की संख्या	निगरानी समितियों को उपलब्ध कराये गये पल्स ऑक्सीमीटर एवं थर्मल स्कैनर की कुल संख्या	निगरानी समितियों द्वारा कोविड के सम्बंध में की गई स्क्रीनिंग की कार्यवाही			निगरानी समितियों द्वारा मेडिकल किटों के वितरण की स्थिति		
							स्क्रीन किये गये कुल लोगों की संख्या	स्क्रीनिंग में पाये गये सिम्टोमैटिक/ संदिग्ध लोगों की संख्या	सिम्टोमैटिक/ संदिग्ध लोगों में से कोविड जॉच कराये गये लोगों की संख्या	उपलब्ध मेडिकल किटों की संख्या	वितरित किटों की संख्या	अवशेष किटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रारूप–ख

कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में गठित मोहल्ला निगरानी समितियों द्वारा की गई स्क्रीनिंग की कार्यवाही व मेडिकल किटों के वितरण के सम्बंध में क्रमिक सूचना											दिनांक .... तक	
क्र. स.	मण्डल	जनपद	नगर निकाय का नाम	वार्डो की संख्या	गठित निगरानी समितियों की संख्या	निगरानी समितियों को उपलब्ध कराये गये पल्स ऑक्सीमीटर एवं थर्मल स्कैनर कुल की संख्या	निगरानी समितियों द्वारा कोविड के सम्बंध में की गई स्क्रीनिंग की कार्यवाही				निगरानी समितियों द्वारा मेडिकल किट वितरण की स्थिति	
							अब तक स्क्रीन किये गये कुल लोगों की संख्या	स्क्रीनिंग में पाये गये सिम्टोमैटिक लोगों की संख्या	सिम्टोमैटिक/ संदिग्ध लोगों में से कोविड जॉच कराये गये लोगों की संख्या	कुल प्राप्त मेडिकल किटों की संख्या	कुल वितरित किटों की संख्या	अवशेष किटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13